न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/39/2025	2025/219	03.06.2025	30.03.2026

1. लहरो पुत्री श्री रामहेत जाति जाट,
2. सुरजो पुत्री श्री रामहेत जाति जाट,
3. अनोखी पुत्री श्री रामहेत जाति जाट,
   निवासीयान ग्राम कलसाडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. निशा पुत्री रामहेत निवासी ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 2218 आदेश दिनांक 06.01.2021 तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री हरिओम, योगेश्वर प्रकाश —वकील अपी0
03—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —वकील असल रेस्पो0

—:निर्णयः—

यह अपील, अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत ग्राम कलसाडा, तहसील मालाखेडा स्थित भूमि का इंतकाल संख्या 2218 खारिज कर दिया गया था। अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मालाखेडा द्वारा उक्त विवादित इंतकाल संख्या 2218 दिनांक 06—01—2021 को मिन अपीलान्टान के पीछे से बिना कोई साक्ष्य सफाई व सुनवाई का अवसर दिये खारिज किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनांक 23.06.23 को हुई जबकि मिन अपीलान्टान ने इंतकालाधीन आराजी से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि तुम्हारा उपरोक्त इंतकाल खारिज कर दिया गया है तथा उसी समय नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 6.07.2023 को सांयकाल प्राप्त हुई, जिस पर मिन अपीलान्टान ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील दायर करने की सलाह दी, जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारणो से हुई है जिस स्थिति में आज्ञा दिनांक 06—01—2021 से जानकारी की दिनांक 23—06—2023 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अपीलान्टान एवं तरतीवी रेस्पाडेन्ट निशा आपस में खास सगी बहिन है तथा आपसी खूनी रिशता है। तरतीवी रेस्पाडेन्ट ने अपनी दिली इच्छा से नाबालिग अवस्था में आराजी खसरा नमबर 703 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 704 रकबा 0.45 हैक्टेयर, व 702 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 795 रकबा 0.55 हैक्टेयर, 807 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 933 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में से अपनी खातेदारी का 1/9 हिस्सा जरिये

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

सरपरस्त माता श्रीमति नर्बदा दिनांक 24–06–2020 के हक त्याग (रिलिज) अपीलान्टान के हक में कर दिया। जो दस्तावेज रिलिज डीड दिनांक 25–00–2020 को उप पंजीयक मालाखेडा द्वारा पंजीबद्ध की गई है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजात के आधार पर मिन अपीलान्टान द्वारा द्वारा अपने नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जिस पर इंतकाल संख्या 2218 दिनांक 19–11–2020 को दर्ज कर दिया। इसके पश्चात पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24–11–2020 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई कि षरिलीज डीड नाबालिग निशा पुत्री रामहेत द्वारा की गई है जिसके राजस्व रिकार्ड में हस्तांतरण के अधिकार "माता खुद" के रूप में है, जबकि नाम दर्ज नहीं है। मुताबिक रिकार्ड व पंजीबद्ध डीड में भिन्न होने से नामांतकरण काबिल खारिज है।

इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा समय सीमा में उक्त नामांतकरण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया और पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 06–01–2021 के तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज० के समक्ष पेश किया गया। उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज० द्वारा नामांतकरण संख्या 2218 अवधि पार मानते हुए दिनांक 06–01–2021 को खारिज कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं होने से काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 24–11–2020 को की है वह कतई गलत है. ग्राम पंचायत द्वारा भी दस्तावेज रिलीज डीड का गहनता पूर्वक अध्ययन नहीं किया है। जबकि उक्त दस्तावेज में रेस्पाडेन्ट निशा की माता का नाम स्पष्ट रूप से नर्बदा अंकित किया गया है। जो कि दस्तावेज की द्वितीय लाईन में स्पष्ट अंकित है। और अपीलान्टान व रेस्पाडेन्टान को उक्त आराजी अपने पिता श्री रामहेत से विरासत में प्राप्त हुई थी, लेकिन तहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया। तहसीलदार साहब द्वारा जिस आधार पर विवादित इंतकाल अस्वीकार किया है, वह विधि विरूद्ध है तथा ग्राम पंचायत द्वारा समय सीमा में निर्णय पारित नही करने पर तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज० को इंतकाल स्वीकार करना चाहिए था। अपीलान्टान व तरतीवी रेस्पाडेन्ट के नामो में किसी प्रकार की भिन्नता भी नहीं है उक्त इंतकाल बेजा तौर पर खारिज किया गया है। यह कि तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज० द्वारा उक्त इंतकाल खारिज करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को ना तो सुनवाई हेतु तलब किया गया है और नाही किसी प्रकार की साक्ष्य सफाई का अवसर प्रदान किया गया है।

तहसीलदार मालाखेड़ा समस्त कार्यवाही मिन अपीलान्टान के पीछे से बालाबाल विधि विरूद्ध तरीके से की गई है। जबकि कानूनन मिन अपीलान्टान को तलब कर व साक्ष्य सबूत प्राप्त कर ही प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए था, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त इंतकाल खारिज होने से मिन अपीलान्टान के हक हकूक जायल होने अंदेशा है। इसलिए उपरोक्त इंतकाल मिन अपीलान्टान के स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि जिसके लिए यह अपील पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर राज० की आज्ञा दिनांक 06.01.2021 बाबत इंतकाल संख्या 2218 वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर निरस्त कर उक्त इंतकाल संख्या 2218 मिन अपीलान्टान के नाम स्वीकार कराये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 25.07.2023 को पेश की गयी है जो करीब 02 साल 06 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पाडेन्ट (निशा) सगी बहनें हैं। तरतीबी रेस्पाडेन्ट निशा ने नाबालिग अवस्था में अपनी माता व सरपरस्त श्रीमती नर्बदा के जरिये अपनी खातेदारी का 1/9 हिस्सा ग्राम कलसाडा स्थित विभिन्न आराजी खसरा नंबरान 703, 704, 702, 795, 807, 933 में से अपीलान्टान के पक्ष में दिनांक 24.06.2020 को हक त्याग (रिलिज डीड) कर दिया था, जो दिनांक 25.06.2020 को उप–पंजीयक मालाखेडा द्वारा विधिवत पंजीकृत है। पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत में इंतकाल दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर इंतकाल संख्या 2218 दिनांक 19.11.2020 दर्ज हुआ। किन्तु पटवारी हल्का ने दिनांक 24.11.2020 को एक त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पेश की कि रिकॉर्ड में संरक्षक का नाम "माता खुद" दर्ज है जबकि रिलीज डीड में माता का नाम नर्बदा दर्ज है। इस नाममात्र की भिन्नता के आधार पर, और ग्राम पंचायत द्वारा समय सीमा में निर्णय न करने पर, तहसीलदार मालाखेडा ने बिना अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर या साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिए, इंतकाल को अवधि पार मानते हुए दिनांक 06.01.2021 को एकतरफा खारिज कर दिया।

अपीलीय प्रकरण के संबंध में तहसीलदार मालाखेडा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, आराजी खसरा नं. 702, 795, 807, 933, 934 किता–5, रकबा 2.03 हैक्टेयर हाल जमाबन्दी खाता सं. 195 में एवं खसरा नं. 703, 704 किता–2, रकबा 1.00 हैक्टेयर हाल जमाबन्दी खाता सं. 72 में अपीलान्टान एवं नाबालिग निशा संरक्षक माता खुद सहित अन्य के नाम दर्ज है। रिपोर्ट यह भी पुष्टि करती है कि उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है तथा मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, पंजीकृत रिलीज डीड, अपीलान्टान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं तहसीलदार मालाखेडा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से परिशीलन किया गया। यह स्पष्ट है कि विवादित इंतकाल का आधार एक पंजीकृत दस्तावेज रिलिज डीड है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा इंतकाल खारिज करने से पूर्व नामान्तरकरण के पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। केवल इस तकनीकी आधार पर कि राजस्व रिकॉर्ड में माता खुद लिखा है और पंजीकृत डीड में माता का नाम स्पष्ट रूप से "नर्बदा" लिखा है, एक पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज इंतकाल को बिना पक्षकारों को सुने खारिज करना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2218 बाबत ग्राम कलसाडा के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.01.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण को तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पंजीकृत रिलीज डीड एवं तथ्यात्मक रिकॉर्ड का परीक्षण कर, विधि अनुसार आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)